न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
आँगनवाड़ी वाद संख्या–152/2015
दुर्मिल देवी –बनाम– जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा

आदेश की क्रम संख्या और तारीख :	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
16/03/18	**आदेश** प्रस्तुत वाद अपीलार्थी ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.01.2015 से क्षुब्ध होकर इस आशय के साथ दायर किया है कि मिनी आँगनवाड़ी केन्द्र संख्या–261, कुमरगंज पासवान टोला, पंचायत हाबीडीह, दक्षिणी के सेविका चयन हेतु प्रारंभ की गयी प्रक्रिया उपरान्त अपीलार्थी जो पूर्व से ही उक्त केन्द्र पर सहायिका के रूप में कार्यरत थी, को मेद्या सूची में सबसे अधिक अंक प्राप्त होने के फलस्वरूप आम सभा दिनांक 09.10.2013 के द्वारा चयन किया गया। आम सभा के दौरान इस अपीलार्थी के विरूद्ध विद्वेष रखने वाले कुछेक व्यक्तियों द्वारा यह आपत्ति की गयी कि अपीलार्थी दुर्मिल देवी सहायिका के रूप में कार्य करते हुए बिना किसी विधिवत् अवकाश के मध्यमा परीक्षा में भाग लिया एवं कार्य अवधि के दौरान ही मध्यमा उत्तीर्ण हुई है तथा अब आम सभा से पूर्व उक्त तिथियों को अवकाश में रहने की स्थिति को समाप्त करने के उद्देश्य से केन्द्र के उपस्थिति पंजी के पृष्ठों को फाड़ दिया है, जो एक अयोग्य अभ्यर्थी है, जिनका चयन किया जाना अनुचित है। अपीलार्थी का यह भी कथन है कि आम सभा के दौरान उपरोक्त परिस्थितियों पर विचारोपरान्त प्रस्ताव संख्या–05 में यह उल्लेख किया गया है कि "अभ्यर्थी दुर्मिल देवी को थाना से आरोप मुक्त होने के पश्चात् स्वतंत्र छात्रा के रूप में शिक्षा ग्रहण किये जाने की स्थिति में चयन पत्र निर्गत की जाय।" तदालोक में थानेाध्यक्ष, बहेड़ी एवं जनता संस्कृत प्रा0–सह–माध्यमिक विद्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन उपरान्त अपीलार्थी को आरोप मुक्त स्वतंत्र छात्रा के रूप में पाते हुए दिनांक 24.01.2014 को चयन पत्र निर्गत किया गया है, जिनके विरूद्ध प्रतिपक्षी संख्या–03 रामवती देवी द्वारा दायर अपीलवाद संख्या 106/2013–14 में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा बिना तथ्यों के विश्लेषनोपरान्त दिनांक 09.01.2015 को विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया है, जो इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप एवं अपास्त किय जाने योग्य है। विपक्षी संख्या–03 की ओर से वाद में उपस्थित होकर लिखित कथन के माध्यम से अपीलार्थी से अपील आवेदन का विरोध करते हुए यह उल्लेखित किया गया है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश वर्त्तमान मामले के पूर्ण रूपेण विचारोपरान्त मार्गदर्शिका में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप पारित किया गया है, जो बिल्कुल ही विधि सम्मत आदेश है तथा इस न्यायालय द्वारा सम्पुष्ट किये जाने योग्य है। उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता	

को सुना। सुनवाई के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश के उपरान्त प्रतिपक्षी संख्या–03 के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं उनके द्वारा उल्लेखित उम्र पर आपत्ति व्यक्त करते हुए प्रतिपक्षी संख्या–03 के चयन को अवैध सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। वाद का मूल विषयवस्तु यह है कि अपीलार्थी जो सहायिका पद पर कार्यरत थी, के काल में ही मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण किये जाने की स्थिति में उनका चयन मार्गदर्शिका के अनुरूप है अथवा नहीं।

आँगनवाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका में बिहार सेवा संहिता के अनुरूप सेवाकाल के दौरान प्राप्त उक्त शिक्षा की स्थिति के संबंध में विशेष रूप से स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है, साथ ही निम्न न्यायालय द्वारा भी मार्गदर्शिका के किसी भी स्पष्ट निर्देश का कोई उल्लेख अपने आदेश में नहीं किया गया है।

अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के विरूद्ध उपस्थिति पंजी को फाड़ दिये जाने संबंधी दर्ज सनहा के संबंध में अनुसंधान किये जाने उपरान्त पुलिस द्वारा अपीलार्थी की संलिप्तता नहीं पायी गयी है। ऐसी परिस्थिति में मेद्या सूची के प्रथम वरीयता प्राप्त अभ्यर्थी को उनके कार्य से वंचित किया जाना विधि–सम्मत प्रतीत नहीं होता है।

उपर्युक्त परिस्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.01.2015 को रद्द किया जाता है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बहेड़ी तद्नुसार आवश्यक कार्रवाई करें।

कार्यालय आदेश की प्रति निम्न न्यायालय के अभिलेख के साथ सभी संबंधित पदाधिकारियों को प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

16/05/18
समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।